तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए

गुमाननाथ बनाम दयालनाथ वगै.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए

निर्णय दिनांक 15.05.2026

15.05.2026

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारान उपस्थित। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 के विरूद्ध दिनांक 05.11.2024 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस का निवेदन किया गया। बहस प्रार्थना पत्र एकतरफा सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस करतें हुए प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया जाकर तादावा फैसला मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखें जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। वादगत खेत खसरा नंबर 1237/187 तादादी 78600 हैक्टेयर व खेत खसरा नंबर 864 तादादी 14.0900 हैक्टेयर वाकेरोही धनेरू तहसील श्रीडूंगरगढ संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है। जिसमें प्रार्थी 1/4 हिस्सा भूमि के सहखातेदार है। वादगत खसरान भूमि सयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है। मूलवाद की विषयवस्तु का सुरक्षित रखा जाना आवश्यक है। प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा संतुलन एवं अपूर्णीयक्षति प्रार्थी के पक्ष में बनना साबित है। लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। उभयपक्षकारान तादावा फैसला मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखें।

आदेश आज दिनांक 15.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)